

01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू साथ एक अभियुक्त नाम पता हजरत अली पुत्र विस्मिता निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 17 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम:- हे0कां0 रामदरश यादव, कां0 मोतीलाल यादव।

**अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची
शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता त्रिवेणी निषाद पुत्र स्व0 रामबली निवासी जंगलबेलहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 07 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 20 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3313 द्वारा लावारिस मंदबुद्धि महिला को परिजनों को किया सुपुर्द – पीआरवी 3313 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत करैली से इवेन्ट संख्या 06576 से कालर ने लावारिस मंद बुद्धि महिला मिलने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों की सहयोग से महिला के घर वालों को तलाश कर प्रभारी चौकी बखिरा की उपस्थिति में उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया तथा थाना बखिरा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर लावारिस महिला को उसके परिजनों को सुपुर्द कर उसके साथ किसी प्रकार घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आ0 अजीज, हो0चा0 पंकज पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनो से 54000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनो से 54000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।